<u>कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।</u>

पत्रांक-- /नियोजन/29(9)/2020-21, दिनांक: 01/04/21

कृपया शासन के पत्र संख्या-748/सैंतीस-2-2021-30(12)/15, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग उ0प्र0।
3. संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण/गौशाला/ई0टी0/पशु प्रजनन/कुक्कुट), मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
5. अपर निदेशक (गोधन विकास/नियोजन), मुख्यालय।

(डा0 एस0के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक-- 151/नियोजन/29(9)/2020-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को इस आशय से प्रेषित की उक्त कार्यवृत्त विभागीय वेब साइट पर अपलोड करें।

(डा0 एस0के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

genral letter

प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों एवं अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति/अनुश्रवण के संबंध में समस्त मण्डलीय अपर निदे ाकों एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों के साथ दिनांक 09.03.2021 को सम्पन्न वीडियों कान्फ्रेसिंग का कार्यवृत्त।

<u>उपस्थिति:–</u>

(1) श्रीमती मंजू लता, विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) डा0 एस0के0 मलिक, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
(3) डा0 रामपाल सिंह, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
(4) डा0 अरविन्द कुमार सिंह, अपर निदेशक (गोधन विकास), मुख्यालय।
(5) डा0 हरदेव सिंह, अपर निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।
(6) डा0 सतीश चन्द्र, संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।
(7) डा0 एस0 के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक (ई0पी0डी0), मुख्यालय।
(8) डा0 जिलेदार सिंह, संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण), मुख्यालय।
(9) डा0 मनोज कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (पशु प्रजनन), मुख्यालय।
(10) डा0 बी0 बी0 सिंह, संयुक्त निदेशक (गौशाला), मुख्यालय।
(11) डा0 अनिल कुमार सोलंकी, संयुक्त निदेशक (कुक्कुट), मुख्यालय।

बैठक ससमय प्रारम्भ हुई। अवगत कराया गया कि प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित संकेतकों की समीक्षा विगत दो वर्षो से की जा रही है, जिसकी प्रगति की सूचना जनपदों द्वारा डैशबोर्ड पर अपलोड़ करायी जाती रही है। इसी प्रकार अब नीति आयोग द्वारा प्रदेश के 34 जनपदों के चयनित 100 पिछड़े विकास खण्डों में महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति योजना के संकेतकों को तैयार किया गया है। पशुधन विभाग हेतु निम्नलिखित 02 संकेतक आवंटित किये गये हैं:– 1–टीकाकृत पशुओं का प्रतिशत, 2–कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन (संख्या में)। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त संकेतकों की निरंतर समीक्षा शासन स्तर पर होगी। अतः आंकड़ों का विशेष ध्यान रखा जाये। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार संकलित सूचना का परीक्षण करने पर पाया गया कि बैठक में प्रस्तुत विकासखण्डवार सूचना में काफी भिन्नता है तथा आंकड़ों में भी तारतम्य नहीं है।

इस संबंध में निर्दे ात किया गया कि लक्षित विकास खण्डों में वर्ष 2020–21 हेतु टीकाकरण के दो चरण (एक चरण एच0एस0 एवं एक चरण एफ0एम0डी0) को विकास खण्डवार पशुगणना को आधार मानते हुए संबंधित जनपदीय अधिकारी टीकाकरण का लक्ष्य अपने जिलाधिकारी की सहमति से पुनः निर्धारित कराते हुए लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति दर्शाएं। इसी प्रकार संकेतक 2–कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन (संख्या में) की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कतिपय विकास खण्डों में अधिकतम लक्ष्य 47000 है तथा कुछ में मात्र 1400 है, जो उचित नहीं है।

निर्दे ात किया गया कि समस्त जनपद अपने विकास खण्ड में पशु गणना के आधार पर प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों की संख्या को देखते हुए प्रजनन योग्य पशु की संख्या के आधार पर अधिकतम तीन कृत्रिम गर्भाधान को आधार मानते हुए लक्ष्यों को निर्धारित करें जिससे आंकड़ों में एकरूपता परिलक्षित हो सके। निदेशक (प्रशासन एवं विकास) को निर्देश

01/04/2021

01/4/2021

दिये गये कि इस संबंध में निदेशालय स्तर से एक पत्र जारी कर समस्त संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित करें कि जनपदवार लक्ष्यों की पुनः समीक्षा कर अवगत करायें।

2– संयुक्त निदेशक (नियोजन) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजीपुर तथा संतकबीरनगर द्वारा सूचना का प्रेषण समय से न किये जाने के कारण सूचना के संकलन में कठिनाईयां आई है।

इस संबंध में समस्त को निर्देशित किया गया कि सूचनाओं का प्रेषण ससमय किया जाय। नीति आयोग के निर्देशन में भारत सरकार द्वारा संकेतक–[illegible] 2 की सूचनाओं हेतु डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी एवं भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह में की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित जनपद के [illegible] अधिकारियों द्वारा उक्त सूचना डैशबोर्ड पर अपलोड़ कराया जाना है। भविष्य में लक्ष्यों का सही निर्धारण न करने या गलत पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।

3– **<u>गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में टैगिंग की समीक्षा</u>**– में पाया गया कि कतिपय जनपदों द्वारा लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदेश के औसत टैगिंग 71.88 के सापेक्ष कम टैगिंग की गयी है। 60 प्रतिशत से कम टैगिंग वाले जनपदों यथा मथुरा, बस्ती, मऊ, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, महराजगंज, खीरी, मुरादाबाद, जौनपुर को सचेत किया गया कि वह अपनी कार्य पद्धति में सुधार लाते हुए टैगिंग शत् प्रतिशत सुनिश्चित करायें अन्यथा आगामी बैठक में उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। साथ ही उनके मण्डलीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वह अपने से संबंधित जनपदों की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूति कराना सुनिश्चित करें। निदेशालय स्तर पर 80 प्रतिशत एवं अधिक टैगिंग वाले जनपदों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए अन्य जनपदों को उक्तानुसार कार्यवाही/अनुश्रवण हेतु निर्देशित किये जाने का मत स्थिर हुआ। तद्क्रम में डा0 मनोज सिंह, नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह जनपद देवरिया, बागपत एवं बुलन्दशहर में स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन करके आख्या निदेशक (प्रशासन एवं विकास) के माध्यम से भासन को उपलब्ध करायें। अवगत कराया गया कि प्रदेश में संचालित एन0ए0डी0सी0पी0 अन्तर्गत 44507352 टीकाकरण किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 13.03.2021 तक मात्र 9436808 टीकाकरण अपलोड हो सका है। भारत सरकार के निर्देशानुसार इनाफ पोर्टल पर दिनॉक 31.03.2021 के बाद अपलोडिंग बन्द हो जायेगी। बैठक में मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव महोदय से अनुरोध किया गया कि टीकाकरण/टैगिंग हेतु जो वैक्सीनेटर नियुक्त किये गये थे, उनमें से अधिकांश कार्य छोड़कर चले गये हैं इस कारण इनाफ पोर्टल पर अपलोडिंग में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अन्य से टीकाकरण की अपलोडिंग कराने हेतु उनको मानदेय दिया जाये। दोनों निदेशकों को भी निर्देशित किया गया कि वह अपने स्तर से भी इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने हेतु यदि विभाग से इतर किसी अन्य एजेन्सी को लगाकर कार्य कराना आवश्यक हो तो इस हेतु देय मानदेय का नियमों के तहत परीक्षण कर शासन को प्रस्ताव उपलब्ध करायें जिससे कि टैगिंग के सापेक्ष शत–प्रतिशत अपलोडिंग कराना सुनिश्चित किया जा सके।

<u>4– वर्ष 2020–21 में नवीन/प्रस्तावित वृहद् गौसंरक्षण केन्द्रों के स्थापना किये जाने की समीक्षा</u>– में पाया गया कि वर्ष 2020–21 में जिन जनपदों को वृहद् गौसंरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु किश्त में धनराशि जारी की गयी है, उनको दूसरी किश्त का भुगतान तभी किया जायेगा, जब वह पूर्व में जारी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बदायूँ द्वारा सर्वप्रथम जनपद बदायूं को आवंटित धनराशि रू0 60 लाख

वृहद् गौसंरक्षण केन्द के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में आवंटित किये जाने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गयी। पुनः मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि का हस्तान्तरण न होने के कारण, कार्यदायी संस्था का निर्धारण न होने के कारण उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हो पायी है। इस कारण उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं दिया जा रहा है। इस पर पृच्छा की गयी कि बिना भूमि के धनराशि कैसे आवंटित कर दी गयी। प्रस्ताव स्वीकृत तभी होता है, जब भूमि उपलब्ध होती है। इस क्रम में अपर निदेशक ग्रेड–।।, बरेली मण्डल को निर्देशित किया गया कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग समाप्त होने के उपरान्त तत्काल बदांयू जा कर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से प्रकरण पर वार्ता करें तथा यथोचित कार्यवाही करायें साथ ही मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, बदायू के विशेष प्रति

इसी के साथ अन्य समस्त अपर निदेशक ग्रेड–।। एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके जनपदों को उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि को व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल दिनांक 15.03.2021 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि दूसरी किश्त जारी की जा सके। यदि किसी अधिकारी द्वारा दिनॉक 15.03.2021 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तो इस शासकीय कार्य एवं दायित्वों में लापरवाही मानते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी साथ ही निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों को वर्ष 2018–19 व 2019–20 में वृहद् गौसंरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि जारी की जा चुकी है, वह समस्त केन्द्रों को दिनॉक 31.03.2021 तक अवश्य कियाशील करायें। यदि जिला प्रशासन स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसे संज्ञान में लाया जाये जिसे प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को मुख्य सचिव महोदय की बैठक में रखते हुएं उसका निराकरण कराया जा सके।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, गोण्डा द्वारा अवगत कराया गया कि गौवंश की संख्या का लक्ष्य/पशुगणना में अन्तर है। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया कि जनपद में कोई पशु छुट्टा नहीं घूम रहे है, का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायें। जनपद बस्ती को निर्देशित किया गया कि संरक्षित पशुओं के अलावा कितने पशु बाहर घूम रहें है उनका सर्वे कर लें। इसी प्रकार अगर अन्य किसी जनपद में छुट्टा पशुओं की गणना एवं वर्तमान में घूम रहे, एवं संरक्षित पशुओं के योग में अन्तर प्रतीत होता है तो संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी इस संबंध में निदेशालय को अवगत करायें, जिससे कि इस त्रुटि का निराकरण हो सके।

5– मा0 मुख्यमंत्री जी सहभागिता योजना की प्रगति की समीक्षा–में पाया गया कि कतिपय जनपदों यथा गोण्डा, बस्ती, गाजीपुर, श्रावस्ती देवरिया, उन्नाव, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, बलिया में लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 25 प्रतिशत पशु ही सहभागिता योजनान्तर्गत अद्यतन आच्छादित किए गये हैं। इस पर रोश व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि योजना की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं की जाती है। अत : इसमें निरंतर प्रयास करते हुए लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति कराना सुनिश्चित की जाये। बैठक के दौरान कई मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सहभागिता के लक्ष्यों का निर्धारण सितम्बर, 2019 में संरक्षित पशुओं की संख्या के आधार पर किया गया है, जब कि वर्तमान में स्थिति उससे भिन्न है। इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि निदेशक (प्रशासन एवं विकास) अपने स्तर पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों का परीक्षण करते हुए वर्तमान स्थिति के आधार पर लक्ष्यों का पुनः निर्धारण कर सम्यक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि जनपदवार लक्ष्यों के निर्ध

ारिण के समय नगर निगमों/नगर निकायों में संरक्षित पशुओं का सहभागिता योजना हेतु लक्ष्य निर्धारण करते समय संज्ञान में न लिया जाये।

6– न्याय पंचायत स्तर पर गोआश्रय स्थल खोले जाने की समीक्षा– में पाया गया कि विभिन्न जनपदों में संचालित अस्थायी गो आश्रय स्थलों की संख्या उनकी न्याय पंचायत की संख्या के क्रम में होनी चाहिए थी परन्तु यथा रायबरेली में 155 न्याय पंचायतों के सापेक्ष मात्र 47 केन्द्र, सुल्तानपुर में 113 के सापेक्ष 27, बलिया में 160 के सापेक्ष 27, चन्दौली 102 के सापेक्ष 22 है जो कि न्याय पंचायतों के सापेक्ष न्यून प्रतीत होती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक गो आश्रय स्थल की स्थापना करते हुए संबंधित क्षेत्र में घूम रहे छुट्टा पशुओं का शत प्रतिशत संरक्षण कराया जाना है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि सभी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी अपने जनपदीय जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से बैठक कर प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक एकड़ जमीन का चिन्हांकन करते हुए अस्थायी गो आश्रय स्थल संचालित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि कहीं समस्या उत्पन्न होती है तो प्रमुख सचिव महोदय से जिलाधिकारी की वार्ता करायें। इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाये।गो संरक्षण केन्द्रों को निर्माण एवं संचालन हेतु मनरेगा एवं राज्य वित्त आयोग/विधायक निधिके अन्तर्गत सभी कार्य अनुमन्य है।

7– इनाफ पोर्टल पर टीकाकरण/एन0आई0पी0 की प्रगति अपलोड किये जाने की समीक्षा– में पाया गया कि प्रदेश के औसत 20.77 के सापेक्ष 37 जनपदों द्वारा 20 प्रतिशत से कम प्रगति की गयी है। विशेषकर जनपद बलरामपुर, बांदा, संभल, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ आदि को सचेत करते हुए निर्देशित किया गया कि वह दिनॉक 31.03.2021 तक अपनी प्रगति में सुधार लायें तथा किये गये टैगिंग के सापेक्ष इनाफ पोर्टल पर अपलोडिंग में सुधार करें। इसी के साथ अन्य सभी को निर्देशित किया गया कि टैगिंग के सापेक्ष संबंधित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर इनाफ पोर्टल पर अपलोडिंग कराना सुनिश्चित करें। साथ ही दोनों निदेशकों को भी निर्देशित किया गया कि वह अपने स्तर से भी इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने हेतु यदि विभाग से इतर किसी अन्य एजेन्सी को लगाकर कार्य कराना आवश्यक हो तो इस हेतु देय मानदेय का नियमों के तहत परीक्षण कर शासन को प्रस्ताव उपलब्ध करायें, जिससे कि टैगिंग के सापेक्ष शत–प्रतिशत अपलोडिंग कराना सुनिश्चित किया जा सके।

7.1– राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना:–

7.1.1 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना–प्रथम:– योजना की समीक्षा में पाया गया कि एन0ए0आई0पी0–1 अंतर्गत जनपदों द्वारा कुल कृ0ग0 023497 संख्या इनाफ पर अपलोड की गयी। उक्त कृ0ग0 संख्या के सापेक्ष दिनांक 08.03.2021 तक 105710 गर्भ परीक्षण (17.04 प्रति ात) किया गया जो अत्यन्त न्यून है क्योंकि एन0ए0आई0पी0–1 सितम्बर 15, 2019 से 31 मई, 2020 तक संपादित की गयी जिसके सापेक्ष भात प्रति ात गर्भ परीक्षण 31 अगस्त, 2020 तक पूर्ण होना था। जनपदों द्वारा इस योजना में संभवत : ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि 06 जनपद इलाहाबाद, इटावा, गाजीपुर, कौ ाम्बी, ललितपुर एवं सिद्धार्थनगर द्वारा गर्भ परीक्षण से संबन्धित कोई डाटा ईनाफ पर अपलोड नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक एवं कार्यक्रम के प्रति उदासीनता का द्योतक है। उक्त के अतिरिक्त 32 जनपदों द्वारा 10 प्रति ात या उससे कम (0.23 प्रति ात से 9.88 प्रति ात), 13 जनपदों द्वारा 10 से 20 प्रति ात (10.35 प्रति ात से 19.21 प्रति ात), 16 जनपदों द्वारा 20 से 30 प्रति ात (20.65 प्रति ात से

29.56 प्रति ात), 05 जनपदों द्वारा 30 से 40 प्रति ात (30.82 प्रति ात से 39.59 प्रति ात), 03 जनपदों द्वारा 40 से 60 प्रति ात (45.10 प्रति ात से 57.47 प्रति ात) तक गर्भ परीक्षण का डाटा ही अपलोड किया गया है जो योजना की दृश्टि से सही नहीं है क्योंकि योजना समाप्त हुए 10 माह का समय व्यतीत हो चुका है, अब तक तो 31 मई, 2020 को किए गये कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष संतति प्राप्त होने का समय भी पूर्ण हो चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि श्रावस्ती जनपद द्वारा मात्र 153 कृ0ग0 (लक्ष्य के सापेक्ष 0.76 प्रति ात मात्र) की प्रगति ईनाफ पर अपलोड किए जाने एवं उक्त के सापेक्ष 45 प्रति ात गर्भपरीक्षण का डाटा ही अपलोड किया गया है।

7.1.2– राश्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना–द्वितीयः–अवगत कराया गया कि योजना अवधि 01 अगस्त, 2020 से 31 मई, 2021 तक निर्धारित है। दिनांक 08.03.2021 की एन0ए0आई0पी0–डै ाबोर्ड की सूचना के आधार पर प्रदे ा को लक्षित कुल कृ0ग0 112.50 लाख के सापेक्ष 6.50 लाख की प्रगति अर्थात 5.78 प्रति ात डाटा इनाफ पर ही अपलोड किया गया है जो चिन्ताजनक है। जनपदों द्वारा इस योजना में संभवतः ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि 2 जनपदों द्वारा 01 प्रति ात से भी कम, 10 जनपदो द्वारा 01 से 02 प्रति ात, 12 जनपदों द्वारा 02 से 03 प्रति ात, 10 जनपदों द्वारा 03 से 04 प्रति ात, 9 जनपदों द्वारा 4 से 5 प्रति ात, 02 जनपदों द्वारा 5 से 6 प्रति ात, 06 जनपदों द्वारा 6 से 7 प्रति ात, 05 जनपदों द्वारा 7 से 8 प्रति ात, 04 जनपदों द्वारा 8 से 9 प्रति ात, 04 जनपदों द्वारा 9 से 10 प्रति ात, 04 जनपदों द्वारा 10 से 12 प्रति ात, 07 जनपदों द्वारा 11 से 25 प्रति ात तक ही कृ0ग0 का डाटा ही अपलोड किया गया है जो योजना की दृश्टि से सही नहीं है क्योंकि इस योजनान्तर्गत नि : ाुल्क गर्भाधान का प्राविधान है तथा प्रगति के दृश्टिगत स्पष्ट होता है कि प ाुपालक इस योजना से कम लाभान्वित हो रहे हैं। बैठक में निर्दे ात किया गया कि मुख्य प ाुचिकित्साधिकारी वि ोश ध्यान देते हुए कार्यक्रम में प्रगति लायें।

8– पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेलों की प्रगति की समीक्षा– बैठक अधिकांश जनपदों द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डलीय/विकास खण्डवार आयोजित किये जाने वाले मेलों हेतु दवाई एवं अन्य अवयवों की आपूर्ति नहीं हो पायी है, जिसके कारण इनके आयोजन में कठिनाई आ रही है। जिस पर निदेशक, (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) द्वारा सभी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को अवगत कराया गया कि मेलों हेतु औषधियॉ मुख्यालय स्तर पर प्राप्त हो गयी हैं, जिनको 3 दिन के अन्दर उठाते हुए लक्ष्यों के अनुरूप दिनॉक 31 मार्च, 2021 तक समस्त मेलों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मेलों में की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9– सेवा–पुस्तिका का मानव सम्पदा पोर्टल पर सत्यापन किये जाने की स्थिति की समीक्षा– में पाया गया कि अधिकांश जनपदों/कार्यालय प्रभारियों द्वारा सूचना मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है, परन्तु बांझपन इकाई सहारनपुर, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, महोबा, बांझपन इकाई मुरादाबाद, मण्डलीय कार्यालय आजमगढ़, आदर्श चमड़ा शोध केन्द्र बक्शी का तालाब द्वारा कुछ डाटा अपलोड नहीं किया गया है, जिस पर उनको निर्देशित किया गया कि वह तीन दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करें। अन्यथा की स्थिति में निदेशक (प्रशासन एवं विकास) उनके विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही करें।

10– किसान केडिट कार्ड (पशुपालन घटक) की समीक्षा– समीक्षा के दौरान संयुक्त

निदेशक (नियोजन) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 में के0सी0सी0 हेतु आवंटित लक्ष्य 10 लाख के सापेक्ष दिनांक 08.03.2021 तक बैंकों को 5.2 लाख आवेदन फार्म प्रेषित किये गये हैं। प्रेषित आवेदनों के सापेक्ष बैंकों द्वारा मात्र 0.60789 लाख किसान केडिट कार्ड जारी किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि इस कार्य हेतु निदेशालय स्तर के नोडल अधिकारी सुनिश्चित करायें कि बैंकों द्वारा जारी किये गये किसान केडिट कार्ड (पशुपालन घटक) की संख्या को फसल बीमा योजना पोर्टल पर अपलोड हो रहा है या नहीं, देखा जाय साथ ही समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह जनपदीय लीड बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रेषित केडिट कार्ड आवेदन के सापेक्ष केडिट कार्ड निर्गत कराने हेतु प्रयास करें तथा उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

11– जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट गोट एण्ड शीप योजना– के सफल संचालन हेतु निम्न निर्देश दिये गये:–

क– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, आगरा को निर्देशित किया गया कि मेला आयोजित कर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का सदुपयोग करें।

ख– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, औरैया को निर्देशित किया गया कि चयनित बकरियों से उत्पन्न हुये बच्चों का सत्यापन केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा के वैज्ञानिक से कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नवत निर्देश किये गये:–

(1) खुरपका–मुहपका रोग का आउटब्रेक होने की दशा में मुख्यालय को अवगत कराते हुए संबंधित क्षेत्र से नमूने एकत्र कर उन्हें आई0वी0आर0ई0 (IVRI) बरेली को भेजना सुनिश्चित करें तथा नमूने प्राप्त करने हेतु चिन्हित संस्थान यथा पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मेरठ एवं मथुरा का भी सहयोग लें।

(2) बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने हेतु जिन लाभार्थियों के कुक्कुट की कलिंग की गयी है, उनके कलिंग के उपरान्त मृत पक्षियों की संख्या के आधार पर क्षतिपूर्ति हेतु बजट की मॉग अविलम्ब करें, जिससे समय से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके।

(3) मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, मेरठ को निर्देशित किया गया कि 18000 खुराक खुरपका–मुंहपका की गुणवत्ता युक्त वैक्सीन स्थानीय स्तर पर क्रय करना सुनिश्चित करें।

(4) सभी मण्डलीय अपर निदेशकों/मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह विभागीय संस्थाओं पर अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति समय से सुनिश्चित करायें तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मांगी गयी सूचना को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें। अण्डा मांस उत्पादन योजना अन्तर्गत कतिपय जनपदों द्वारा ब्याज प्रतिपूर्ति की मॉग कई बार निर्देश देने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। चूँकि वर्ष का अन्तिम मह है। यदि किसी अधिकारी की शिथिलता के कारण कुक्कुट उद्यमी को ब्याज की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में अधिकारी की शिथिलता मानते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

(5) एन0ए0आई0पी0–1 में ईनाफ पर अपलोडेड कृ0ग0 के सापेक्ष फालोअप का कार्य तथा एन0ए0आई0पी0–2 में लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सचेत किया गया।

(6) वीडियों कान्फ्रेसिंग के दौरान सम्बन्धित अधिकारी एक दूसरे से बात करते है, जो असंतोषजनक है। कृपया भविष्य के लिये नोट कर लें।

(7) यदि किसी जनपद द्वारा नवीन वृहद् गौसंरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता है, तो वह भूमि का चिन्हांकन/अधिग्रहण करते हुए प्रस्ताव दिनांक 15.03.2021

तक अवश्य भेज दें। अन्यथा किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नही हो पायेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वीडियों कान्फ्रेसिंग समाप्त की गयी।

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
पशुधन अनुभाग–2,
संख्या–748/सैंतीस–2–2021–30(12)/15
लखनऊ :: दिनांक 01 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर निदेशक, गोधन विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर निदेशक, नियोजन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– संयुक्त निदेशक, नियोजन/ई0पी0डी0/रोग नियंत्रण/पशु प्रजनन/ गौशाला/कुक्कुट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। (द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास)
6– निजी सचिव, विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।